संख्या-09/2015/834/62-1-2015-1111/2011

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के लिए आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 02जी/भू0ज0वि0/बी-1/डब्लू दिनांक 06 अप्रैल,2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में चालू विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 94200 हजार (रूपया नौ करोड बयालिस लाख मात्र) के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं:-

1- (धनराशि हजार रूपये में)

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| **(अ)**''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-03-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास,आकलन एवं सद़ढीकरण ।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 5000 | 5000 |
| 2 | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 1000 | 1000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1200 | 1200 |
| 4 | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 6100 | 6100 |
| 5 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2500 | 2500 |
| 6 | 18-प्रकाशन | 4500 | 4500 |
| 7 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 1500 | 1500 |
| 8 | 29-अनुरक्षण | 1500 | 1500 |
| 9 | 42-अन्य व्यय | 1500 | 1500 |
| 10 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1500 | 1500 |
| 11 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय | 2500 | 2500 |
| 12 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1700 | 1700 |
| | **योग** | **30500** | **30500** |
| **(ब)**4702-लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-07-भूगर्भ सर्वेक्षण का विकास आंकलन एवं सद्रढीकरण।'' | | | |
| 1 | 25-लघु निर्माण कार्य | 6000 | 6000 |
| | **योग (अ*ब)** | **36500** | **36500** |

2- (धनराशि हजार रूपये में)

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| **(अ)**''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-04-भूगर्भ जल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं गहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट ।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 200 | 200 |
| 2 | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 180 | 180 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 4000 | 4000 |
| 4 | 18-प्रकाशन | 200 | 200 |
| 5 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 300 | 300 |
| 6 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय | 200 | 200 |
| 7 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 50 | 50 |
| | योग | 5130 | 5130 |
| **(ब)**4702-लघुसिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-08-भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं ग्रहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट ।'' | | | |
| 1 | 25-लघु निर्माण कार्य | 450 | 450 |
| | **योग (अ*ब)** | **5580** | **5580** |

3- (धनराशि हजार रूपये में)

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| ''लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-05-जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 300 | 300 |
| 2 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 100 | 100 |
| 3 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 800 | 800 |
| 4 | 18-प्रकाशन | 500 | 500 |
| 5 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय | 900 | 900 |
| 6 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 400 | 400 |
| | **योग** | **3000** | **3000** |

4- (धनराशि हजार रूपये में)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| ''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-06-रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग ।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 600 | 600 |
| 2 | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 100 | 100 |
| 3 | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 200 | 200 |
| 4 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 500 | 500 |
| 5 | 18-प्रकाशन | 200 | 200 |
| 6 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 100 | 100 |
| 7 | 29-अनुरक्षण | 350 | 350 |
| 8 | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 350 | 350 |
| 9 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 100 | 100 |
| | **योग** | **2500** | **2500** |

5- (धनराशि हजार रूपये में)

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| **(अ)**''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-08-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली ।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 200 | 200 |
| 2 | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 50 | 50 |
| 3 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 125 | 125 |
| 4 | 18-प्रकाशन | 100 | 100 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय | 90 | 90 |
| 6 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 50 | 50 |
| | **योग** | **615** | **615** |
| **(ब)**4702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-102-भूजल-005-अन्वेषण-06-शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली।'' | | | |
| 1 | 25-लघु निर्माण कार्य | 29385 | 29385 |
| | **योग (अ*ब)** | **30000** | **30000** |

6- (धनराशि हजार रू0 में)

| क्र0 सं0 | लेखाशीर्षक/मद | बजट प्राविधान 2015-16 | निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|
| ''लेखाशीर्षक-2702-लघुसिंचाई-आयोजनागत-02-भूजल-005-अन्वेषण-09-भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग ।'' | | | |
| 1 | 08-कार्यालय व्यय | 500 | 500 |
| 2 | 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई | 100 | 100 |
| 3 | 13-टेलीफोन | 100 | 100 |
| 4 | 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 500 | 500 |
| 5 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 13120 | 13120 |
| 6 | 18-प्रकाशन | 400 | 400 |
| 7 | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 1800 | 1800 |
| 8 | 29-अनुरक्षण | 100 | 100 |
| | योग | 16620 | 16620 |
| | **कुल योग-1*2*3*4*5*6** | **94200** | **94200** |

(रूपये नौ करोड बयालिस लाख मात्र )

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1,उ0प्र0शासन के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च,2015 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधिनों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धरनाराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(3) अवमुक्त धरनाराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाये।

(4) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त आहरण कदापि न किया जाय। आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय।

(8) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-231/2015, दिनांक 30 मार्च,2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

भरत लाल राय
विशेष सचिव ।

संख्या-09/2015/434(1)/62-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- नियोजन अनु0-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, सूचना।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम नारायण अहिरवार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।